ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 173-176**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में तकनीकी परिवर्तन का प्रभाव : सैद्धान्तिक मुद्दें

डॉ० सव्य सांची

असिस्टेंट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, आर्य कन्या पी०जी० कालेज, प्रयागराज (उ०प्र०) भारत

Received-14.03.2025, Revised-21.03.2025 Accepted-27.03.2025 **E-mail : vyasanchi.tripathi@gmail.com**

सारांशः इस लेख को लिखने का उद्देश्य हरित क्रांति की रणनीति अपनाने के फलस्वरूप हुए तकनीकी परिवर्तन से महिलाओं के जीवन पर पड़े प्रभावों को दर्शाना है। हरित क्रांति, दक्षिण एशियाई इतिहास में बहस का एक बड़ा मुद्दा है। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं–प्रभावी भूमि सुधार, अधिक उत्पादक किस्मों के बीज और उनका संचय, भूमि जल के विकास सहित सिंचाई की सुविधा, सामान्य क्षेत्र का विकास, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल, कीटनाशकों का उपयोग, कृषि ऋण की सुविधाएं, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण यातायात और बाजार, कृषि मशीनीकरण तथा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। हरित क्रांति के प्रभाव ने राज्यों के बीच तथा उनके अंदर क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति पैदा की। साथ ही साथ उसकी वजह से कृषि के व्यवसायीकरण, बड़े किसानों के उदय, धनी किसानों के छोटे से समूह के पास भूमि का केंद्रीकरण, भूमिहीन मजदूर, विस्थापित मजदूर तथा ग्रामीण महिलाओं का तबका भी तैयार हुआ।

कुंजीभूत शब्द– हरित क्रांति, तकनीकी परिवर्तन, दक्षिण एशियाई इतिहास, प्रभावी भूमि सुधार, ग्रामीण विद्युतीकरण,

विश्व को 1.3 अरब गरीब आबादी में से 70 प्रतिशत महिलाएं हैं। वह दुनिया की खाद्य सामग्री के 50 प्रतिशत का उत्पादन करती हैं जबकि बदले में उन्हें मात्र 10 प्रतिशत आय प्राप्त होती है। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम संसाधनों का उपयोग करती हैं और पुरुषों की तुलना में उन संसाधनों पर उनका स्वामित्व भी कम है। यहां तक कि जिस सम्पत्ति पर उनका स्वामित्व होता भी है, प्रायः उसका रखरखाव और नियंत्रण भी परिवार के पुरुष सदस्यों के पास होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान 72.18 प्रतिशत है। संविधान द्वारा जेंडर के आधार पर समानता दिए जाने के बावजूद महिलाएं सामाजिक–आर्थिक सूचकांक के प्रत्येक समूह में पुरुषों की अपेक्षा पीछे छूटी हुई हैं। बाजारी और गैरबाजारी गतिविधियों में क्षेत्रवार महिलाओं और पुरुषों के काम के घंटे की तुलना करने पर पता चलता है कि महिलाओं के काम के घंटे पुरुषों की तुलना में ज्यादा होते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह एक बड़ा सत्य है।

तकनीकी परिवर्तन और महिलाओं की स्थिति– तकनीकी परिवर्तन उन यांत्रिक खोजों को इंगित करता है, जिनसे किसी विशेष काम के होने के तरीके प्रभावित होते हैं। ये तकनीकी खोज सामाजिक संबंधों क साथ गहरे तौर पर जुड़ी होती हैं। इसके कारण, जो आविष्कार उत्पादन तकनीकों को प्रभावित करते हैं वही व्यवसायीकरण की प्रक्रिया को तथा बाजारी शक्तियों के उदय एवं ग्रामीण समाज की संरचनाओं को भी प्रभावित करते हैं।

हमारा यह मानना है कि तीसरी दुनिया के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की अधीनता के दो पहलू हैं। पहला, महिलाएं उन परिवारों की सदस्य होती हैं जिनका भूमि पर मालिकाना हक में, उत्पादन के अन्य साधनों में तथा मजदूरी आय में अंतर होता है। इसलिए उनके काम करने की स्थितियां जमीन और आजीविका के संदर्भ में पारिवारिक आजीविका की रणनीतियों पर निर्भर होती हैं। भूस्वामित्व तथा कृषि उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन, विभिन्न ग्रामीण परिवारों और उनमें महिलाओं द्वारा किए जाने वाले काम को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। दूसरा, ग्रामीण परिवार, समानता पर आधारित सामाजिक इकाइयां नहीं होता है, बल्कि ये लिंग तथा उम्र के प्रभुत्व और अधीनता के संबंधों पर टिके सामाजिक ढांचे हैं।

महिलाओं की अधीनता सामान्य तौर पर श्रम के लिंग आधारित विभाजन द्वारा प्रकट होती हैं (आमतौर पर महिलाएं भोजन बनाने, ईंधन और पानी इकट्ठा करने, बच्चों की देखभाल के लिए जिम्मेदार होती हैं, इसके अलावा घर के बाहर जो काम वह कर सकती हैं उसके लिए भी वह जिम्मेदार होती हैं), बच्चों की देखभाल तथा पालन पोषण करने की महिलाओं की क्षमता पर नियंत्रण, उनकी शारीरिक गतिविधियों (जैसे–पर्दा) पर लगाई गई पाबंदियां और प्रायः महिला हीनता की वैचारिक समझ में उनकी अधीनता प्रकट होती है। अधीनता के विशेष रूप ग्रामीण परिवारों के अलग–अलग वर्गों में अलग–अलग तरह के होते हैं। गरीब किसान तथा खेतिहर मजदूरों के परिवारों की ग्रामीण महिलाओं की स्थिति, तथा कृषि में हुए परिवर्तन का उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें इन दोनों पहलुओं का विश्लेषण करने की जरूरत है। हरित क्रांति शुरू होने के पहले तक दक्षिण एशिया में भूमिहीन और गरीब किसान परिवार की महिलाओं ने अपने परिवारों की आजीविका और कल्याण के लिए अपने सामान्य पारिवारिक कर्तव्यों और पारिवारिक आयों में योगदान के जरिए बहुमूल्य भूमिका अदा करती रहीं। लेकिन तकनीकी परिवर्तन ने उनके आय अर्जित करने और परिवार के निर्वहन की उनकी क्षमता पर गंभीर अतिक्रमण किया है। अधिकतर भूमिहीन महिलाएं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं और उनकी आय अर्जित करने की क्षमता सिंचित क्षेत्रों की अपेक्षा सूखी जमीन और वर्षा पर आधारित कृषि वाले क्षेत्रों में ज्यादा बुरी तरह नष्ट हुई है।

महिला कृषकों की स्थितियों पर हरित क्रांति का ठोस प्रभाव, जमीन के आकार, स्वामित्व के तरीकों और मजदूरों के इस्तेमाल इत्यादि पर निर्भर करता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या महिलाओं ने श्रम उत्पादकता और आय वृद्धि के नए अवसरों की सुविधा हासिल की है। बड़े भू–स्वामियों और जोतदार परिवारों की महिलाओं पर हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जबकि छोटे जोतदार परिवारों की खेतिहर महिलाओं की जिंदगी में इससे कोई खास बदलाव नहीं आया है। या तो कुछ खास कामों को समाप्त करके या फिर महिलाओं को हाशिए पर पड़े कामों की ओर धकेलकर इस परिवर्तन ने उनके विकल्पों को सीमित कर दिया है। इस स्तर पर पुरुष कृषकों की तुलना में महिला कृषकों का विस्थापन ज्यादा हुआ है। अन्य मामलों में, अधिक उत्पादक किस्म की तकनीकी के इस्तेमाल ने आय के स्तर को सुधारे बिना महिला और पुरुष दोनों ही तरह के अस्थायी श्रमिकों के रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया है।

व्यापक पैमाने के ग्रामीण कार्यक्रमों के द्वारा लाए गए संगठनात्मक और संस्थागत ढांचे परिवर्तन का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र बने। कृषि की पद्धति में व्यापारियों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सरकारी एजेंसियों से सीधा संपर्क शामिल है। इन सब प पुरुषों का

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

आधिपत्य है, महिलाओं के लिए तो ये नए हैं। दरअसल, कुछ निश्चि सांस्कृतिक और धार्मिक रीति–रिवाजों के कारण प्रायः इन संस्थाओं में महिलाओं का पुरुष से संपर्क और आमना–सामना सीमित रहा है। महिलाओं की उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तर और उनके कामों के बोझ को कम करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले खेती कामों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी तौर पर बहुत कम कोशिश की गई है। आम तौ पर पुरुष ही नई तकनीक और नए कौशल से लाभान्वित हुए हैं। सांस्कृतिक मूल्य र बंधन भूमि जैसे अन्य संसाधनों पर महिलाओं के नियंत्रण को सीमित करते हैं, और उन् और अधिक संसाधनों की मांग करने से रोकते हैं।

इसके साथ–साथ वे किसान जो खेती में नई तकनीक के प्रयोग से अपनी आय और उत्पादकता को बढ़ाने की जरूरत को महसूस करते थे उन्होंने उपलब्ध विस्तार संवाओ (Extension Services) को शीघ्र हासिल करने का प्रयास किया जिससे कृषि के क्षेत्र में नए संसाधन, कौशल, सूचना और तकनीक के इस्तेमाल में मदद मिली। पंजाब के संदर्भ में जमीन पुनस्थापन (resettlement) योजनाओं को इस तरह से लागू किया गया कि जमीनों की मिल्कियत परिवार के पुरुष मुखिया के हाथों में गई। महिलाओं द्वारा संचालित परिवारों की स्थिति जमीन पुनर्स्थापन (resettlement) के मामले में पहले से कहीं अधिक खराब थी, हालांकि हरित क्रांति के पश्चात उन परिवारों ने अब आर्थिक और भौतिक साधन, अच्छे घर और केंद्रीकृत स्वास्थ्य सेवाएं तथा बच्चों के लिए सरकारी शिक्षा की सुविधा प्राप्त की है।

कृषि श्रम शक्ति से ग्रामीण महिला कार्य शक्ति के विस्थापन को कृषि में नई तकनीकों के इस्तेमाल से उत्पन्न महिला और पुरुष असमानता के आधार पर समझा जा सकता है। महिला कार्य शक्ति के पास या तो कोई तकनीक नहीं थी या उनके पास कम या पुरानी तकनीक थी। इस विस्थापन के दो प्रभाव देखे गए। पहला, महिला कार्य शक्ति को आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर बनाया गया और दूसरा महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों के सहायक के बतौर सीमित कर दिया गया। अर्थात सिंचाई के लिए पंप सेट का इस्तेमाल, गेहूं के लिए थ्रेशर, टैक्टर और गेहूं साफ करने वाली मशीनों के इस्तेमाल के साथ महिला श्रम शक्ति को रोजगार से बाहर फेंक दिया गया।

इस प्रकार, मशीनीकरण के प्रथम चरण में महिलाओं को बेदखल कर दिया गया, हालांकि विभिन्न सामाजिक–आर्थिक तबके की महिलाएं इससे अलग–अलग तरह से प्रभावित हुईं। कुछ के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई तो कुछ के लिए कमी। रोजगार में कमी के महिलाओं पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के प्रभाव पड़े। चाहे उसने महिलाओं के लिए खाली समय को बढ़ाया है या उन रोजगारों का नुकसान किया जो कुछ महिलाओं के जीवन के लिए अति जरूरी होते है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि यह श्रम शक्ति से स्वैच्छिक तरीके से बाहर रहने का मामला हैं या जबर्दस्ती विस्थापन का। मशीनीकरण का तब सकारात्मक प्रभाव हो सकता है जब यह महिलाओं के कृषि कार्य को तकनीक के इस्तेमाल से आसान करता हो या जरूरतमंद महिला श्रमिकों के लिए रोजगार में बढ़ोत्तरी करता हो, और नकारात्मक तब होता है जब जरूरतमंद महिला श्रमिकों के रोजगार के अवसरों को कम करता है।

हालांकि यह चिन्हित किया गया है कि आंशिक मशीनीकरण के जरिए विकसित कृषि तकनीक ने हर तरह की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, चाहे उच्च या मध्य जातियों के उच्च सामाजिक–आर्थिक तबके की महिला कृषकों को या जिनकी आय का स्तर ऊंचा है और जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं. उनका कृषि कार्य से मुक्त करकं, दूसरी तरफ उन महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ाकर जो सामाजिक–आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ी जातियों तथा दलित तबके से थीं और जिनका संबंध न्यूनतम आय समूहों से था और जिनके पास या तो कम उपजाऊ एवं गैर आर्थिक जमीनें थीं, उन्हें कृषि श्रमिकों के बतौर काम करने के लिए मजबूर किया गया। कृषि के पूर्ण मशीनीकरण का समाज के उच्च सामाजिक–आर्थिक तबके की महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने स्वयं को कृषि कार्यों से खींचा तथा बचे हुए समय का उपयोग उन क्षत्रों में किया जहां उनके जीवन स्तर में सुधार के निश्चित संकत थे। दूसरी तरफ इसने निम्न आय समूहों (जो या तो भूमिहीन थे या जिनके पास गैर आर्थिक (uneconomic) जमीनें थीं) के लोगों के मौसमी रोजगार में कटौती करक नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इस प्रकार ये महिलाएं हाशिए पर धकल दी गई। हाशिए पर ढ़केले जाने की प्रक्रिया का पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों पर ज्यादा बुरा असर हुआ। गतिशीलता और प्रशिक्षण के अवसरों के अभाव में आधुनिक क्षेत्र में उनके रोजगार के अवसर कम हुए।

बीना अग्रवाल (1984) के अनुसार कृषि में तकनीकी परिवर्तन के प्रभाव से जुड़े लिंग विभेदों (हमदकमत कपमिितमदबमे) का विश्लेषण महिलाओं और पुरुषों के बीच शरुआती भिन्नता के आधार पर किया जाना चाहिए। पहला, कृषि कार्य में उनकी भागीदारी की प्रकति तथा दूसरा, गैर कृषि कार्य में उनकी भागीदारी की प्रकृति और सीमा, जिसमें पशपालन, घरेलू काम और बच्चों की देखभाल इत्यादि शामिल हैं, और तीसरा परिवार की आय और उपभोक्ता सामग्रियों के वितरण की पद्धति पर उनके नियंत्रण की सीमा। यह अंतर स्वभाव से सामान्य होता है, और आर्थिक के साथ–साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कतिक तत्वों पर निर्भर होता है। वह अंतर घर और किसी भी समाज के बाहर श्रम के मौजदा लैंगिक विभाजन (sexual division) तथा नियमों को भी निर्धारित करता है। इन नियमों के अनुसार, घर के अंदर घरेलू काम व बच्चों की देखभाल करना महिलाओं की प्राथमिक और मुख्य जिम्मेदारी होती है, तथा घर के बाहर इन्हें कुछ निश्चित कृषि कार्यों तक ही सीमित रखता है। बाकि कामों से उन्हें अलग रखा जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की 1979 की एक रिपोर्ट के अनुसार समस्त भारत में यदि महिलाओं की वास्तविक आर्थिक गतिविधियों का कुल लेखा–जोखा किया जाए तो पता चलता है कि बाजार और गैर बाजार अर्थव्यवस्था में महिलाओं के काम के घंटे ज्यादा हैं, खासकर ग्रामीण भारत में। उनके कार्य की प्रकृति और उसकी लंबी अवधि ने मूलभूत आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को उठाया है। ये मुद्दे किसी भी अर्थव्यवस्था और समाज में पुरुषों और महिलाओं के मौजूदा श्रम विभाजन और उसके अंतर्गत तकनीकी विकास की वर्तमान स्थिति से जुड़े हुए हैं। कृषि के आधुनिक तौर तरीकों ने महिलाओं की हिस्सेदारी को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण महिला कार्य शक्ति का उत्तरोत्तर विस्थापन हुआ है और उनकी गतिविधियों में कमी आई है। पश्चिमी मॉडल कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से महिलाओं द्वारा की जाने वाली दैनिक मजदूरी का काम प्रभावित हुआ है। तकनीकी खोजों द्वारा जो, सुधार लाए गए, व लाभ तथा काम की स्थितियों दोनों हिसाब से जेंडर पूर्वग्रहों पर आधारित और फलस्वरूप उनकं स्त्रियों और पुरुषां पर अलग–अलग तरह के प्रभाव हुए हैं। इस प्रकार महिला कार्य शक्ति न्यूनतम कौशल के साथ सीमित हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा उबाऊ, अत्यावश्यक और उत्पादन प्रक्रिया में कम भुगतान वाले काम करवाए जाते हैं।

जिन जिलों में हरित क्रांति के कारण कृषि का विकास हुआ उनसे संबंधित एक और भी रोचक तथ्य है, जिसके परिणामस्वरूप खेतों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। कृषि कार्य में तकनीकों के इस्तेमाल बढ़ने

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

के साथ किसान समाज में अपनी स्थिति के प्रति जागरूक हो गए। चूंकि महिलाएं उनके लिए उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रतीक (जंजने `लउइवस) होती हैं, इसलिए वे नहीं चाहते कि उनकी महिलाएं खेती के काम में लगें। यह भी देखा गया है कि खेती में हिस्सेदारी भी सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों द्वारा निर्देशित होती है, और इसके आधार पर कृषि समाज को इन दो हिस्सों में बांटा जा सकता है–एक, जिन परिवारों के पास भूमि है और दूसरा, जिनके पास भूमि नहीं है। यद्यपि दोनों समहों की खेती में हिस्सेदारी होती है लेकिन फिर भी वहां इसके तरीके और पहंच में अंतर होता है। जिन महिलाओं के पास भूमि है वो उच्च सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं, और उनकी भागेदारी वैसे कामों में ज्यादा रही जो घर बैठे ही किए जा सकते हैं। भमिहीन परिवारों की महिलाएं निम्न सामाजिक–आर्थिक तबके से संबंधित हैं और मूलतः दलित हैं। पंजाब की कृषि में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिकतर दलित तबके से ही है। वह दूसरों की जमीनों पर खेती का काम करती है, बदल में उन्हें नकद या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। इस तरह की महिलाए भूस्वामी परिवारों की महिलाओं की अपेक्षा बीज बोने, उसे एक स्थान से निकालकर दूसर स्थान पर रोपने, खुदाई–कटाई, जमीन की सफाई, फसलों की खेतों से भंडारण स्थल तक ढुलाई और गन्ना छीलने के कामों में ज्यादा हिस्सेदारी करती हैं। इस प्रकार चारा कटाई, भूसा कटाई और उसकी तैयारी, पशुगृह तक उसकी ढुलाई जैसे शारीरिक श्रम वाले काम भा भूस्वामी परिवारों की अपेक्षा भूमिहीन परिवारों की महिलाएं प्रायः अधिक करता है।

उदारीकरण की नीतियों ने विशेष तौर से भारत की ग्रामीण महिलाओं को प्रभावित किया है। 1991 में 1971 और 1981 की तरह ही लगभग 87 प्रतिशत ग्रामीण और 20 प्रतिशत शहरी महिलाएं कृषि का काम करती थी। मुख्य रूप से खेत पर निभर शाररिक श्रम करने के बावजूद निर्णय प्रक्रिया जैसी गतिविधियों में या तो उनकी कोई भूमिका नहीं होती है या बहुत कम होती है। यद्यपि हाल के वर्षों में भारतीय कृषि में श्रम शक्ति के महिलाकरण (Feminization) की प्रवृत्तियों पर ध्यान दिलाया गया है, लेकिन यहा भी महिलाएं ज्यादातर पारंपरिक फसलों और कामों तक ही सीमित हैं। जिन क्षेत्रों में नई तकनीकों और नए बाजारों से संबंधित काम होते थे महिलाओं को उससे भी बाहर रखा गया और उनके काम को पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया गया।

चूँकि महिलाएं मुख्यतः कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं इसलिए उर्वरकों की किस्म म सुधार का उन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। सरला गोपालन ने अपने शोध मे उन क्षेत्रों के आंकडे प्रस्तुत किए हैं जिनमें 8.42 करोड महिलाएं कार्यरत हैं। अर्थात 71 प्रतिशत महिलाएं कृषि में, 10.56 प्रतिशत पशुपालन और मुर्गीपालन में, 7.73 प्रतिशत सेवाओ (services) में, 2.98 प्रतिशत निर्माण और मरम्मत कार्य में तथा 2.6 प्रतिशत व्यापार म कार्यरत हैं। प्रवीण विसारिया ने ग्रामीण और शहरी भारत के लिए क्षेत्रवार रोजगार का आंकड़ा पेश किया है। उनके मुताबिक भारत में 84.7 प्रतिशत महिला श्रमिक कृषि, पशुपालन, मछली पालन तथा वन से संबंधित कामों में, 6.9 प्रतिशत उत्पादन कार्या (manufacturing) में, 27 प्रतिशत निर्माण कार्य में और 3 प्रतिशत सामुदायिक सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं में कार्यरत हैं। शहरी भारत में 29.4 प्रतिशत महिलाए, कषि में 27.1 प्रतिशत, दस्तकारी में 11.3 प्रतिशत, वस्त्र उद्योग में 8 प्रतिशत, खाद्य प्रसंस्करण में 3.7 प्रतिशत, निर्माण कार्य में 9.4 प्रतिशत, फुटकर व्यापार और होटलों तथा सामदायिक सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं में 26.6 प्रतिशत कार्यरत हैं।

निष्कर्ष–ग्राम्य समाज में हुई समग्र तब्दीलियों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। हरित क्रांति ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन जेंडर संबंधी पक्षपात तथा कुछ खास तबकों के प्रति भेदभाव के कारण इसकी सीमाएं भी हैं। तकनीकी निष्पक्षता के दावे के बावजूद इसकी प्रकृति अमीर भूस्वामी वर्ग तथा पुरुष श्रमशक्ति के अनुकूल रही है। शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य तथा मृत्युदर के स्तर और उसके अनुरूप महिलाओं की स्थिति से यह बात साबित हो जाती है। जीवन से संबंधित उनके अधिकार, वैज्ञानिक तकनीकी दुनिया में उनके लिए प्रशिक्षण, स्वास्थय और सामाजिक सरक्षा जैसे मूल क्षेत्रों में उनकी वंचना और उनके साथ होने वाले भेदभाव में महिलाओं से संबंधित मानवाधिकार का भारी उल्लंघन निहित है। वर्तमान में यह ढांचागत सुधार कार्यक्रम की नीतियों के दवाबस्वरूप सरकार के जरिए ही रहा है। वर्चस्व और अधीनता का संबंध राजनैतिक संबंध है, जो उत्पादन की संरचना और स्थितियों से भौतिक आजीविका और उस परंपरा तथा संस्कृति से मान्यता (legitimacy) प्राप्त करता है जो महिलाओं की अधीनता को जायज ठहराता है।

भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति दर अपेक्षाकृत कम है। 1991 के जनगणना के अनुसार मात्र 22.7 प्रतिशत महिलाएं श्रम शक्ति में शामिल थीं। उसके बाद कुल महिला श्रमिकों का 27.2 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में जबकि 9.7 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। नई बीज उर्वरक तकनीक की व्यापकता के कारण पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले श्रम कार्यों में उनकी भागेदारी बढ़ी है। इससे जोखिम भरे कामों में महिला श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई है। गैरकृषि क्षेत्र में पुरुषों के बढ़ते रोजगार के कारण भी महिला श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप पुरुष श्रम की अपेक्षा महिला श्रम के वास्तविक पारिश्रमिक में वृद्धि हुई है जबकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का श्रम लागत और मजदूरी आज भी कम है। कृषि से संबंधित काम और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ–साथ महिला कृषकों और महिला श्रमिकों की परिवार में स्थिति को मजबूत करने से पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। महिलाएं, पुरुषों की अपेक्षा परिवार की आय का बड़ा हिस्सा बच्चों की देखभाल और आहार पर, विशेषकर परिवार की कन्या शिशु के लिए इस्तेमाल करती हैं। महिलाओं के पक्ष में संपत्ति के अधिकार बदलने, उनकी सुविधानुसार तकनीकों की खोज, महिला एक्स्टेंशन श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, उनके शिक्षण–प्रशिक्षण, उनके द्वारा चलाए जाने वाले सहकारी बचत, संस्थाओं के सशक्तीकरण और इस तरह के अन्य कदमों द्वारा महिलाएं नए–नए अवसरों का लाभ अच्छी तरह उठा सकती है।

जेंडर न्याय (Gender Justice) का दावा मुख्य रूप से महिलाओं का कृषि के विकास में योगदान और महिलाओं की स्थिति पर उसके प्रभाव की ओर ध्यान केंद्रित करता है। दरअसल, प्रत्येक विकास नीति, योजना या परियोजना का महिलाओं पर प्रभाव पड़ता है, और बिना महिलाओं के योगदान के वह सफल भी नहीं हो सकता है। जेंडर न्याय का विकास तत्काल यह मांग करता है, महिलाओं को अच्छे कामों के अवसर प्रदान करने लायक कदम उठाए जाएं, इसके लिए वैसे दुःसाध्य कामों को समाप्त करना होगा, जिसके कारण सैकड़ों मिलियन महिलाएं घरेलू और कृषि से जुड़े कामों को झेलने के लिए बाध्य हैं: रचनात्मक तथा आर्थिक विकास से जुड़े कामों का निष्पक्ष/स्पष्ट बंटवारा किया जाए।

महिलाएं प्रत्येक, जगह विकास में हिस्सेदारी करती हैं। लेकिन प्रायः उनकी स्थिति उन्हें शिक्षा, रोजगार के प्रशिक्षण, भूस्वामित्व, ऋण की सुविधाओं, व्यवसाय के अवसरों और यहां तक कि (जैसा कि मृत्युदर से संबधित आंकड़े से स्पष्ट होता है) पौष्टिक आहार तथा आजीविका से जुड़े अन्य आवश्यकताओं के मामले में उन्हें बराबरी हासिल करने से रोकती है। उत्पादन पर आधारित समाजों के विकास तथा पूंजी के उपयोग (चाहे उस पर सामाजिक यो निजी स्वामित्व ही क्यों न हो) ने समाज में महिलाओं

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

और पुरुषों के कामों विभिन्न आकलनों के अंतर को और अधिक बढ़ाया है। ज्यादातर आविष्कारों तथा तकनीकी सुधारों को पुरुषों से संबंधित कामों में ही लागू किया गया जिसने पुरुषों की वर्चस्वशाली भूमिका को और भी अधिक बल प्रदान किया। ऐसा इसलिए, क्योंकि शिक्षा, तकनीकी तथा उत्पादन को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के मामले में महिलाओं को असमान अवसर ही प्राप्त हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1- ' Bina Aggarwal, 1994, A field of One's (Orn : Gender and Land Rights in South Asia," Cambridge University Press, Cambridge.
2- Bina Aggarwal, 1984, Rural Women and the High Yielding Variety Rice Technology in India, in Economic and Political Weakly, 31March, A 39-52.
3- Sarla Gopalan, 1995, "Women and Employment in India," Har-Anand Publications, New Delhi, pp. 45-47.
4- N. Rao, Rurup & R. Sudarshan, 1996, ed., Sites of Change : The Structural Context of Empowering Women in India," FES, UNDP.
5- Praveen Visaria & Rakesh Basant, 1994, "Non-Agricultural Employment in India," Sage Publications, New Delhi, pp. 86-87.

*****